



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 2018/श्रावण 19, 1940

No. 557]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 2018/SHRAVANA 19, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

सं. 32/2018-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 759(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रिकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा जिनकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है, मास, जुलाई 2018 से मार्च, 2019 तक ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के ग्यारहवें दिन तक के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक आपूर्ति के ब्यौरे की समय-सीमा का विस्तार किया जाता है।

2. मास जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी को तैयार करने के लिए समय-सीमा को राजपत्र में तत्पश्चात् अधिसूचित किया जाएगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी.)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August, 2018

No. 32 /2018–Central Tax

G.S.R. 759(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from July, 2018 to March, 2019 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2018 to March, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

सं. 33/2018-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 760(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में संकलित व्यापारावर्त 1.5 करोड़ रुपये तक है को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे यथा उल्लिखित विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है।

2. उक्त व्यक्ति, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय अवधि तक, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट प्रभावी त्रैमास के दौरान, माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप **जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत कर सकेंगे, अर्थात्:—

सारणी

क्र.सं.	त्रैमास जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई-सितम्बर, 2018	31 अक्तूबर, 2018
2	अक्तूबर-दिसम्बर, 2018	31 जनवरी, 2019
3	जनवरी-मार्च, 2019	30 अप्रैल, 2019

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 के लिए तत्पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव